R4U

Rojgar4u

Information document

विज्ञप्ति
कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हल्द्वानी-नैनीताल
महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012(पोक्सो) की धारा 39 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में सहायक व्यक्तिों का पैनल तैयार करने हेतु अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पोक्सों अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित बालकों को कानूनी कार्यवाही के दौरान भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता, देखरेख और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानूनी प्रणाली के अंतर्गत मदद, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढ़ग से गवाही देने के लिए आवश्यक सहायता, पीड़ितो को पुर्नवासन में सहयोग, परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान पीड़ित की सहायता संबंधित कार्यों हेतु प्रत्येक जनपद में सहायक व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगें।

ऐसे गैर-राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड न हो और निस्वार्थ भाव से बच्चों की सहायता करने के इच्छुक हो, सहायक व्यक्ति के पैनल में नियुक्ति हेतु अपने-अपने जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में निम्न प्रारूप में आवेदन कर सकते है।

सहायक व्यक्ति के लिए योग्यता– सामाजिक कार्य या समाज शस्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री, या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के में मुद्दों में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री।

पारिश्रमिक– सहायक व्यक्तियों को उनकी सेवाओं के सापेक्ष प्रति प्रकरण चार चरणों में केस के निस्तारण पर कुल मानदेय रू 20,0000/– (बीस हजार रूपये) प्रदान किये जायेंगें

सहायक व्यक्ति के पैनल हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित नवीन पासपोर्ट साइज फोटो

1. जनपद (जहाँ के लिए आवेदन किया जा रहा है) ....
2. अभ्यर्थी का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण- पत्र के अनुसार) ....
5. स्थायी पता ....
6. पत्राचार / वर्तमान पता ....
7. आधार कार्ड नं0 ....
8. शैक्षिक योग्यता- हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर की प्रमाणित छायाप्रति
9. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ....
10. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्नों सहित)
11. दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र कि अभ्यर्थी का आपराधिक रिकार्ड नहीं है।
12. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या ....
13. मोबाइल/दूरभाष न0 .... ई.मेल.आई.डी ....

आवेदन हेतु सामान्य निर्देशः-

1. 25 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ही आवेदन के पात्र होगें।
2. अपूर्ण व वांछित शैक्षिक योग्यता न होने पर अथवा आयु कम या अधिक होने पर और अन्य पते पर भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों सहित दिनांक 15 मई 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय (जिस जनपद हेतु आवेदन किया गया है) में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं व्यक्तिगत रूप सेजा कर जमा किये जा सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. लिफाफे पर सहायक व्यक्ति हेतु आवेदन तथा जनपद का नाम अवश्य अंकित किया जाये।
5. जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से सहायक व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
6. सहायक व्यक्तियों का पुलिस सत्यपान अनिवार्य होगा, किसी अभ्यर्थी की रिर्पोट नाकारात्मक होने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निदेशालय अथवा किसी अन्य कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखरेख संस्था, बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।

आवेदनकर्ता सहायक व्यक्ति के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदिः-

1. वह कभी याल दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अन्य कार्य में लिप्त रहा है
2. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकार्ड हैं।

अन्य जानकारी हेतु दूरभाष नं0 9756490227 पर अथवा संबंधित जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,
नैनीताल

पत्रांक-79-80/म.क.वि./जि.प्रो.का./सूचना/2025-2026 दि. 23.04.2025